न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
– आई.ए.एस.

अपील संख्या 139/2020

कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प, पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201014 मो0 नं0 8722040356

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 06.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.12.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 139/2020 पर दिनांक 14.12.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।

लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2176–2177 दिनांक 15.12.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।

लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ. 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/4475 दिनांक 17.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201014 का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 19.09.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र मे पोस्टल आर्डर सलंग्न न होने के कारण सूचना दिया जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थी को मूल आवेदन पत्र लौटा कर पोस्टल आर्डर सलंग्न कर पुनः आवेदन करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/590 दिनांक 24.09.2020 के द्वारा पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।

लोक सूचना अधिकारी (ए0डी0एम0) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ. 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/ /20/4475 दिनांक 17.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री रमेश कुमार, सी0आई0एस0एफ0 कैम्प पांचवी आरक्षित वाहिनी, इन्दिरापुरम गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201014 का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 19.09.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र मे पोस्टल आर्डर सलंग्न न होने के कारण सूचना दिया जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थी को मूल आवेदन पत्र लौटा कर पोस्टल आर्डर सलंग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:11:41 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुंझुनूं

कर पुनः आवेदन करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ.16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/590 दिनांक 24.09.2020 के द्वारा पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:11:41 IST
Reason: SelfAttested